पत्र संख्याः–ओ0/बि0मा0आ0–32/2016–............../

फैक्स
स्पीड पोस्ट

बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)

प्रेषकः
चन्द्रशेखर सिंह
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,
जिला पदाधिकारी
सिवान

पटना, दिनांक– , 2016

विषयः– "Removal of uteruses of under aged girls and women" के पीड़ितों को अंतरिम राहत/मुआवजा भुगतान किये जाने हेतु कुल ₹5,00,000/– (पाँच लाख, 10 पीड़ित @ ₹50,000/–) मात्र अंतरिम राहत/मुआवजा के रूप में जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा भुगतान/समंजन का आदेश/राज्यादेश संख्या–11625 दिनांक–20.12.2016 द्वारा स्वीकृत राशि के मुख्य शीर्ष–2235, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष–200–अन्य कार्यक्रम मांग संख्या–22–उप शीर्ष–0011 मानवता के दृष्टिकोण से राहत, विपत्र कोड–N223560200011 विषय शीर्ष–3102 अनुग्रह अनुदान में वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपबंधित राशि से कुल ₹5,00,000/– (पाँच लाख) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

2. सभी 10 पीड़तों को मुआवजा भुगतान करने हेतु जिला पदाधिकारी, सिवान को निम्नवत राशि आवंटित की जाती हैः–

वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिला पदाधिकारी, सिवान को पूर्व में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिला पदाधिकारी, सिवान को वर्त्तमान में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिला पदाधिकारी, सिवान को कुल में आवंटित राशि
₹00/– (शून्य)	₹5,00,000/– (पाँच लाख)	₹5,00,000/– (पाँच लाख)

3. उक्त आवंटित राशि ₹5,00,000/– (पाँच लाख) मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप–मुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष–200–अन्य कार्यक्रय मांग संख्या–22, उप शीर्ष–0011–मानवता के दृष्टिकोण से राहत विपत्र कोड–N223560200011 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. उक्त राशि जिला पदाधिकारी, सिवान को यथा विषयांकित पीड़ितों को मुआवजा के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी जा रही है।

जिला पदाधिकारी, सिवान कृपया यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा मुआवजा की राशि का भुगतान पीड़ितों की समुचित पहचान कर की गई है।

5. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, सिवान होंगे।

6. उक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, सिवान से की जायगी।

7. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, सिवान की होगी।

8. जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा सभी पीड़ितों को उक्त राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/क्रॉस चेक के माध्यम से किया जाएगा।

9. जिला पदाधिकारी, सिवान का यह दायित्व होगा कि भुगतान की गयी राशि का भुगतान प्रमाण-पत्र/प्राप्ति रसीद गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को यथाशीघ्र निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।

10. इस राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा मात्र उक्त पीड़ितों को अंतरिम राहत/मुआवजा के रूप में भुगतान हेतु किया जाएगा, किसी भी अन्य योजना के कार्य पर विचलन नहीं किया जायेगा।

11. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाय तो उस राशि का प्रत्यर्पण वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति के पूर्व गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।

12. इस आवंटनादेश को महालेखाकार, बिहार, पटना को संसूचित किया जा रहा है।

13. इस आवंटन ओदश की प्रति संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(चन्द्रशेखर सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः-.. **पटना, दिनांक- , 2016**

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव

फैक्स
स्पीड-पोस्ट

ज्ञापांकः-.. **पटना, दिनांक- , 2016**

प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, सारण, प्रमंडल, सारण/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सिवान/वित्त विभाग-सह-बजट शाखा, बिहार, पटना को (दो प्रतियों) में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः-.. **पटना, दिनांक- , 2016**

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, स्वास्थय विभाग, बिहार, पटना/ उप सचिव, प्रशाखा "ए0", गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः- ....11699....../ **पटना, दिनांक-**.....21/12/...., **2016**

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

21/12/2016

सरकार के अपर सचिव